

संचालनालय पशुपालन
कामधेनु भवन, वैशाली नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक...~~6970~~.../स्था.ब./लिपिक/स्थानान्तरण/2019

भोपाल, दिनांक...~~05-07-2019~~

// आदेश //

मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति वर्ष 2019-20 मे निहित प्रावधान अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के समक्ष कॉलम क्र.-5 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक स्थानांतरित कर पदस्थ किया जाता है-


क्र	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	स्वयं/ प्रशा.
1	2	3	4	5	5
1	श्री दिनेश कुमार पराते	सहायक ग्रेड-2	कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ जिला मण्डला	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ सिवनी	स्वयं
2	एच.एस. मरावी	लेखापाल	कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ जिला नीमच	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ जबलपुर	स्वयं
3	श्री राजकुमार शर्मा	सहायक ग्रेड-3	कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा जिला अशोकनगर	कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा जिला गुना	स्वयं
4	श्री शशिकांत चौरसिया	सहायक ग्रेड-3	कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ जिला कटनी	कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा जिला सागर	स्वयं
5	श्री चम्पालाल दानगोडे	सहायक ग्रेड-3	कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा जिला अलीराजपुर	कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा जिला बुरहानपुर	स्वयं
6	श्री इंडिया बामनिया	सहायक ग्रेड-3	कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा जिला बुरहानपुर	कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा जिला अलीराजपुर	स्वयं
7	श्री चन्दकांत मुकासी	सहायक ग्रेड-3	उप संचालक प.चि. से जिला नरसिंपुर	उप संचालक पशु चिकित्सा जिला मण्डला	स्वयं

10

क्र	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	स्वयं/ प्रशा.
8	श्री के.एल. गौतम	सहायक ग्रेड-3	उप संचालक पशु चिकित्सा जिला मण्डला	उप संचालक पशु चिकित्सा जिला बालाघाट	स्वयं

टीप:- स्थानान्तरित कर्मचारियों को समान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. एफ-6-1/2019/एक/9, भोपाल दिनांक 04.06.19 की कण्डिका-14, 15, 15(1) में निहित प्रावधान अनुसार स्थानान्तरण आदेश में कार्यमुक्त करने की अवधि दो सप्ताह निर्धारित की गई है। यदि संबंधित शासकीय सेवक निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा एक तरफा कार्यमुक्त किया जा सकेगा। एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानान्तरण क्रियान्वित होना माना जावेगा, एवं कण्डिका-16 अनुसार स्थानान्तरित किए गए शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जावेगा।


2. सहायक ग्रेड-3 की वरिष्ठता संभागीय स्तर पर होने के कारण, स्वेच्छा से दूसरे संभाग में स्थानान्तरित होने वाले सहायक ग्रेड-3 को वरिष्ठता छोड़नी होगी। इनकी वरिष्ठता नवीन संभाग में उपस्थिति दिनांक से मान्य की जावेगी।


 (डॉ.आर.के.रोकडे)
 संचालक
 पशुपालन म.प्र.
 भोपाल

पृ.क्रमांक...6971.../स्था.ब/लिपिक/स्थानांतरण/2019 भोपाल, दिनांक 05-07-2019

प्रतिलिपि:-निम्नांकितों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु।

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी पशुपालन विभाग भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पशुपालन विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं संभाग म.प्र.।
4. उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला म.प्र.। स्थानान्तरण नीति वर्ष 2019-20 में दिए गए सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
5. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री द्वारा संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं संभाग/जिला..... म.प्र.


 संचालक
 पशुपालन म.प्र.
 भोपाल